संख्या-166/2018/4135/22-2-2017-17(165)/2012

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 15 फरवरी, 2018***

विषय: केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरीश उर्फ बबलू पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी जनपद-फिरोजाबाद की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-45968/प्रोबे0अनु0(2)-189/सला0 समिति/(एम0 21.12.2017) दिनांक-29.12.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरीश उर्फ बबलू पुत्र श्री अशोक कुमार, नि0-जैन गली, थाना-टूण्डला, जनपद-फिरोजाबाद हाल पता-मो0 गली मंगलसेन, नई बस्ती टूण्डला, जिला-फिरोजाबाद का रहने वाला है। वादी रामकिशन के अनुसार उसकी पत्नी राज कुमार व अभियुक्त टुण्डला के रहने वाले हैं और एक दूसरे के परिचित हैं। दिनांक 02.01.1997 की शाम लगभग 06:30 बजे वादी व उसका भांजा विनोद सब्जी लेकर सिढियों पर चढने लगे तो अभियुक्त को घर की सीढियो से उतरते देखा। अभियुक्त दोनों को धक्का देकर भाग गया। ऊपर जाकर देखा तो राजकुमारी खून से लथपथ मृत पडी थी। मृतका के कनस्तर में रखे कुछ जेवर लापता थे तथा शरीर पर धारदार हथियार के कई घाव थे। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-80/1997 में भा0द0वि0 की धारा-302, 394 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 19.12.2000 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.05.2007 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.09.2017 तक 20 वर्ष 07 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष 02 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी की आयु, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट एवं मा0 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हरीश उर्फ बबलू पुत्र श्री अशोक कुमार को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी हरीश उर्फ बबलू (बन्दी संख्या-6245) पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी जनपद-फिरोजाबाद की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-166/2018/4135/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in